

# राजस्व पर्षद, बिहार, पटना।

सं०सं०-०२/परी०-०९(को०प्र०)-०४/२०१८ ५२४

प्रेषक,

मुकेश प्रसाद,  
संयुक्त सचिव,  
राजस्व पर्षद, बिहार, पटना।

सेवा में,

1. प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना।
2. अवर सचिव, (वै०दा०नि०को०) वित्त विभाग, बिहार, पटना।
3. महालेखाकार, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक- ११.०३.२०१९

विषय:-

ग्रामीण विकास सेवा के पदाधिकारी के कोषागार प्रशिक्षण-प्रमाण-पत्र की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार विषयांकित सेवा के पदाधिकारी के संबंध में जिला पदाधिकारी/समाहर्ता द्वारा निर्गत कोषागार प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र की स्वीकृति केन्द्रीय परीक्षा समिति, राजस्व पर्षद, बिहार द्वारा प्रदान की जाती है, जो निम्नांकित है:-

| क्रमांक | पदाधिकारी का नाम/पदनाम/पता                                              | प्रशिक्षण-अवधि                 | संबंधित जिला पदा०/समा०द्वारा कोषागार प्रशिक्षण प्रमाण पत्र पर ह० की तिथि |
|---------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 01      | श्री प्रदीप कुमार चौधरी,<br>प्रशिक्षु ग्रामीण विकास पदाधिकारी,<br>नवादा | 07.01.2019 से<br>05.02.2019 तक | 13.02.2019                                                               |

विश्वासभाजन,

संयुक्त सचिव,

राजस्व पर्षद, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- सं०सं०-०२/परी०-०९(को०प्र०)-०४/२०१८ ५२४

पटना, दिनांक- ११.०३.२०१९

प्रतिलिपि:- जिला पदाधिकारी नवादा एवं श्री प्रदीप कुमार चौधरी, प्रशिक्षु ग्रामीण विकास पदाधिकारी, नवादा को सूचनार्थ प्रेषित।

संयुक्त सचिव,

राजस्व पर्षद, बिहार, पटना।

११/०३/१९